न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
गणेशराम पुत्र ईश्वरराम जाति जाट निवासी करकेड़ी	रामादेवी पत्नी भंवरराम, वगैरह जाति जाट निवासी करकेड़ी

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212R.T.Act

राजस्व प्रार्थना–पत्र मु.नं 20/ 2017

CCNO - 2017/00053

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
18.05.17	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना –पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा 212 R. T. Act के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना– पत्र दर्ज रजिस्टर हो । प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनॉक 08.06.2017 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 319 रकबा 3.09 हैक्टर में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के हक हिस्से तक अप्रार्थी संख्या एक किसी प्रकार का बेचान हस्तानान्तरण रहन बख्शीश दान इत्यादि नही करे व अप्रार्थी संख्या 5 दस्तावेज स्वीकार नही करे , अप्रार्थी संख्या 6 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 08.06.2017 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
8/6/17	प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित विपक्षी उपस्थित /अनुपस्थित । प्रकरण को लोक अदालत मे रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाता है पक्षकारान दिनांक 20/6/17 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
20/6/17	पक्षकारान उप./अनु.उप./वकीलप्राथि/ अप्राथी उप./अनु.। पत्रावली लोक अदालत में पेश हुयी । पक्षकारान में समझाइस की गई परन्तु राजीनामा नही हुआ । अतः पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को वापिस लौटायी जावे मिसल दि० 12/7/17 को पेश होवे	

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:19:41 IST
Reason: SelfAttested

गणेशराम [illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 212 [illegible] अधीन धारा 212 [illegible] मु.नं. 20/2017

[illegible] 2017/00055

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
5/11/2020	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश में बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 22.12.2020 को पेश हो।	
22/12/2020	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश में बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 16.02.2021 को पेश हो।	
16/2/2021	पत्रावली पेश। उक्त [illegible] [illegible] पत्रावली दिनांक 4/3/21 को पेश हो।	
4/3/21	पत्रावली पेश। उक्त [illegible] पत्रावली दिनांक 9/3/21 को पेश हो।	
9/3/21	पत्रावली पेश। उक्त पत्रावली पर उपस्थित [illegible] मनन किया गया। [illegible] पत्रावली [illegible] 18-05-2017 को [illegible] पत्रावली [illegible] आदेश आज दिनांक 9/3/21 को खुले इजलास में सुनाया गया। (बाबूलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:19:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)